जिलाधिकारी श्री मनीष कुमार वर्मा एंव पुलिस अधीक्षक ने सिराथू के चक बिजलीपुर के प्राथमिक विद्यालय में लगे कैम्प किसान सम्मान निधि योजना का पहुचॅकर लिया जायजा

कौशाम्बी, 08 फरवरी 2019

जिलाधिकारी श्री मनीष कुमार वर्मा एंव पुलिस अधीक्षक श्री प्रदीप गुप्ता ने सिराथू के चक विजलीपुर के प्राथमिक विद्यालय में लगे कैम्प पहुचॅकर लिया जायजा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गत लधु एवं सीमान्त कृषकों (02 हेक्टेयर से कम) के परिवारों को प्रति वर्ष 6000 रूपये डी0बी0टी0 के माध्यम से प्रदान किया जायेगा। यह धनराशि चार–चार महीने के अन्तराल में 2000 रूपये की तीन सामान किस्तों में प्रदान की जायेगी। यह योजना दिनांक 01.12.2018 से लागू की गई है एवं दिनांक 01.12.2018 से 31.03.2019 की समयावधि के लिए देय 2 हजार रूपयें की किस्त को अभी लधु सीमांत कृषक परिवारों के बैक खातों मे स्थानान्तरित किया जाना है। प्रथम किस्त आधार नम्बर अथवा किसी अन्य पहचान पत्र के आधार पर दी जायेगी, किन्तु वित्तीय वर्ष 2019–20 से मिलने वाली किस्तों के लिए आधार नम्बर का होना अनिवार्य होगा। यदि पति–पत्नी या उनके नाबालिग बच्चे, तीनों के नाम पर पृथक–पृथक भूमि उपलब्ध है, तो उसे जोड़ते हुऐ एक ईकाई माना जायेगा एवं तीनों में से किसी एक को ही लाभार्थी के अन्तिम सूची मे रखा जायेगा। उक्त परिवार के अन्य ग्रामों में स्थित भूमि को भी जोड़ते हुऐ पात्रता का निर्धारण किया जायेगा। प्रत्येक राजस्व ग्राम में एक लेखपाल एवं एक अन्य ग्राम स्तरीय कर्मचारी के संयुक्त टीम द्वारा प्रात्रता के अनुसार कृषकों की सूची तैयार की जायेगी। शामिल खाते होने की स्थिति में प्रत्येक कृषक पारिवार की भूमि की गणना पृथक–पृथक की जायेगी और पारिवारों के लधु एवं सीमान्त की श्रेणी में आने पर उन्हे भी लाभान्वित किया जायेगा। कृषक परिवारों के बैक खाते का विवरण/आधार कार्ड नम्बर/अन्य पहचान पत्र तथा मोबाइल न0 का सग्रह करने के लिए ग्राम स्तरीय टीम के द्वारा अपने पहले भ्रमण के समय ही दिनांक 12.02.2019 से 14.02.2019 के मध्य की तिथिया निर्धारित कर दी गई है इन तिथियों मे राजस्व ग्रामों में विशेष शिविर का आयोजन किया जायेगा जिसमें शेष रह गयें कृषक परिवार की सूचना एकत्र की जायेगी। पात्रता निर्धारित करने हेतु भूलेख के दिनांक 01.02.2019 के डाटा को आधार माना जायेगा इसके पश्चात भूलेख में विरासत के अतिरिक्त अन्य प्रकार से होने वाले परिवर्तन/संशोधन के आधार पर आगामी 5 वर्षो तक नये लाभार्थी नही बनाये जायेगे। **कतिपय श्रेणी के कृषकों के पारिवारों को इस योजना के गाइन्ड लाइन मे अपात्र धोषित किया गया है**–भूतपूर्व अथवा वर्तमान में संवैधानिक पदधारक।, भूतपूर्व अथवा वर्तमान मत्री/राज्य मंत्री एवं भूतपूर्व/वर्तमान सदस्य लोकसभा/ राज्यसभा/राज्य विधानसभा/राज्य विधान परिसद, भूतपूव अथवा वर्तमान नगर महापलिका के मेयर, भूतपूर्व अथवा वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष।, केन्द्र व राज्य सरकार के कार्यालय/विभागों के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी, केन्द और राज्य सरकार सहायतित अर्ध सरकारी संस्थान तथा सरकार से संबद्ध समस्त कार्यालय एवं स्वायत्तशाषी संस्थान तथा स्थानीय निकायों के नियमित कार्मिक (चतुर्थ श्रेणी/समूह–घ के कार्मिको को छोड़कर), लाभार्थी कृषक द्वारा विगत कर निर्धारण वर्ष में आयकर का भुगतान किया गया है।, समस्त सेवानिवृत्त पेंशन धारक, जिनकी मासिक पेंशन रूपये 10 हजार या उससे अधिक है (चतुर्थ श्रेणी/समूह–घ के सेवानिवृत्त पेंशनर्स को छोड़कर), पेशेवर डाक्टर, इंजीनियर, अधिवक्ता, चार्टर्ड एकाउन्टेंट व आर्कीटेक्ट आदि जो संबंधित पेशे के लिए पंजीकरण करने वाली संस्था में पंजीकृत है और अपना पेशा कर रहे है।, कृषक को एक घोषणा पत्र देना होगा जिसमें पति–पत्नी दोनों में से किसी एक के हस्ताक्षर करना निश्चित रूप से अनिवार्य होगा इस अवसर पर तहसीलदार सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे

———————————————————

जिला सूचना कार्यालय कौशाम्बी द्वारा प्रसारित

———————————————————